

बुलडोज़र न्याय पर सर्वोच्च न्यायालय के दशान-नरिदेश

प्रलमिस के लयि:

सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 142, नगरपालिका कानून, कार्यपालिका, न्यायपालिका, वधिका शासन, सममान से जीने का अधिकार, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 300A, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 51, जनिवा कनवेंशन 1949, वधिद्वारा स्थापति प्रक्रिया, वधिकी समयक प्रक्रिया, मेनका गांधी मामला 1978, हेट स्पीच, न्यायाधिकरण, वैकल्पिक वविाद समाधान ।

मेन्स के लयि:

संपत्तियों को ध्वस्त करने हेतु उचित प्रक्रिया का पालन ।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय \(SC\)](#) ने संवधान के [अनुच्छेद 142](#) के तहत अखलि भारतीय दशान-नरिदेश दयि हैं ताकयिह सुनश्चिति कयिा जा सके कयि नागरकों की संपत्तियों को ध्वस्त करने हेतु उचित प्रक्रिया का पालन कयिा जाए ।

- सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दयिा कयि उचित प्रक्रिया का पालन कयि बनिा कसिी आरोपी या दोषी की संपत्ति को ध्वस्त करना "असंवैधानिक" है ।
- संबंधति मामले में अपराध के आरोपी व्यक्तियों के घरों को "अवैधानिक" तरीके से ध्वस्त करने को चुनौती दी गई थी, जैसा कयि हाल ही में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में देखा गया है ।

नोट: बुलडोज़र न्याय से तात्पर्य उन संपत्तियों को ध्वस्त करने की प्रथा (कभी-कभी उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन कयि बनिा) से है जो अक्सर अपराध के आरोपी लोगों की होती हैं ।

बुलडोज़र न्याय पर सर्वोच्च न्यायालय के दशानरिदेश क्या हैं?

- नोटसि देना: कसिी भी प्रकार की तोड़फोड़ से पहले संपत्ति के मालकि को कम से कम 15 दनि का नोटसि दयिा जाना चाहयि ।
 - नोटसि में ध्वस्त कयि जाने वाले ढाँचे का वविरण तथा ध्वस्त कयि जाने के कारण स्पष्ट रूप से उल्लिखति होने चाहयि ।
- नषिपक्ष सुनवाई: व्यक्तगित सुनवाई के लयि नरिधारति समय देना चाहयि, जसिसे प्रभावति पक्ष को वधिवंस का वरिोध करने या स्थतिको स्पष्ट करने का अवसर मलि सके ।
- पारदर्शति: प्राधिकारियों को नोटसि भेजने के बाद स्थानीय कलेक्टर या ज़लिा मजसिस्ट्रेट को ई-मेल के माध्यम से सूचिति करना होगा ।
- अंतमि आदेश जारी करना: अंतमि आदेश में संपत्ति मालकि के तर्क, ध्वस्तीकरण को एकमात्र वकिल्प मानने का प्राधिकारी का औचितय तथा यह कयिा संपूर्ण संरचना या आंशकि संरचना को ध्वस्त कयिा जाना है, शामिल होना चाहयि ।
- अंतमि आदेश के बाद की अवधि: यद ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कयिा जाता है, तो इसके क्रयिान्वयन से पहले 15 दनि का समय दयिा जाए, जसिसे संपत्ति मालकि को संरचना को हटाने या आदेश को न्यायालय में चुनौती देने का मौका मलि सके ।
- वधिवंस का दस्तावेज़ीकरण: प्राधिकरण को वधिवंस का वीडयो रकिर्ड करना होगा और पहले से ही एक "नरिीक्षण रपिोर्ट" तैयार करनी होगी, साथ ही इसमें शामिल कर्मयिों की सूची वाली एक "वधिवंस रपिोर्ट" भी तैयार करनी होगी ।
- दोहरे उल्लंघन के लयि परीक्षण: सर्वोच्च न्यायालय ने उन मामलों के लयि एक अलग परीक्षण नरिधारति कयिा है, जहाँ ध्वस्त की गई संपत्ति में कसिी आरोपी का नविास हो और अवैध नरिमाण के रूप में उस संपत्ति द्वारा नगरपालिका कानूनों का उल्लंघन होता हो ।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कयिद केवल एक संरचना को ध्वस्त कयिा जाता है, जबकि समान संरचनाओं को अछूता छोड़ दयिा जाता है, तो इसका अर्थ यह हो सकता है कयि इसका उद्देश्य आरोपी को दंडति करना है, न कयि अवैध नरिमाण को हटाना ।

- **अपवाद:** सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसके निर्देश उन मामलों में लागू नहीं होंगे, जहाँ सड़क, गली या फुटपाथ जैसे किसी सार्वजनिक स्थान पर, रेलवे लाइन या किसी नदी या जल निकाय के समीप कोई अनधिकृत संरचना है तथा उन मामलों में भी लागू नहीं होंगे, जहाँ न्यायालय द्वारा ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया है।

अनुच्छेद 142

- संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मामले में पूर्ण न्याय के लिये आवश्यक आदेश और डिक्री पारित करने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 142(1) सर्वोच्च न्यायालय को सम्पूर्ण न्याय करने के लिये पूरे भारत में प्रवर्तनीय आदेश पारित (राष्ट्रपतिद्वारा नरिधारित) करने की शक्ति प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 142(2) न्यायालय को उपस्थिति सुनिश्चित करने, दस्तावेजों की खोज करने या अवमानना के लिये दंड देने की शक्ति प्रदान करता है।
- समय के साथ, इस प्रावधान का उपयोग "पूर्ण न्याय" सुनिश्चित करने और वधायी खामियों को दूर करने के लिये किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय के दशा-नरिदेशों का क्या महत्त्व है?

- **शक्तियों का पृथक्करण:** फैसले में इस बात पर जोर दिया गया है कि न्यायापालिका के पास दोष तय करने तथा यह नरिधारित करने की शक्ति है कि क्या राज्य के किसी अंग ने अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया है।
 - कार्यपालिका अपने मूल कार्यों के निष्पादन में न्यायापालिका का स्थान नहीं ले सकती।
- **वधिका शासन:** न्यायालय ने कहा कि बिना उचित सुनवाई के किसी को दण्ड के रूप में ध्वस्त करना कार्यपालिका के लिये अनुचित है। यह सुनिश्चित करके वधिका शासन को कायम रखता है कि राज्य की कार्रवाई संविधानिक सीमाओं का उल्लंघन न करे।
 - ऐसे वधिवंस जो कुछ समुदायों (जैसे झुग्गीवासियों) को असमान रूप से प्रभावित करते हैं, उन्हें अनुच्छेद 14 के तहत भेदभावपूर्ण के रूप में चुनौती दी जा सकती है।
- **अधिकारियों की जवाबदेही:** यह अनिवार्य करके कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की सार्वजनिक रूप से जाँच की जाए तथा वसित्त रिकॉर्ड (जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग और नरिर्क्षण रपिर्ट) प्रस्तुत किए जाएँ, दशा-नरिदेशों का उद्देश्य सत्ता के दुरुपयोग को रोकना तथा अधिक जवाबदेही को बढ़ावा देना है।
- **आवास का अधिकार:** सम्पूर्ण संपत्तिको प्रभावित करने वाला वधिवंस, जिसमें आरोपी न होने वाले लोग भी शामिल हैं, असंविधानिक होगा क्योंकि यह आवास के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।
 - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार में आश्रय या आवास का अधिकार भी शामिल है।
 - अनुच्छेद 300A गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अलावा उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान इस बात पर जोर देता है कि संपत्तिको केवल उचित प्रक्रिया एवं वैध कानूनों के तहत ही छीना जा सकता है।
- **व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण:** उचित प्रक्रिया और शक्तियों के पृथक्करण पर न्यायालय व्यक्तियों को राज्य की मनमानी कार्रवाइयों से बचाता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि कानून प्रवर्तन की आड़ में अधिकारों का उल्लंघन न हो।
- **जनिवा कन्वेंशन, 1949:** जनिवा कन्वेंशन 1949 का अनुच्छेद 87(3) सामूहिक दंड पर प्रतिबंध लगाता है।
 - इस तरह के वधिवंस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का भी उल्लंघन करते हैं, जिसमें कहा गया है कि भारत को अंतरराष्ट्रीय संधियों और कानूनों का सम्मान करना चाहिये।

बुलडोज़र न्याय एक चिता का वषिय क्यों है?

- **दंडात्मक वधिवंस में वृद्धि:** आवास और भूमि अधिकार नेटवर्क (HLRN) के वर्ष 2024 के अनुमान में पाया गया कि अधिकारियों ने वर्ष 2022 और 2023 में 153,820 घरों को ध्वस्त कर दिया, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 738,438 से अधिक लोग वसिस्थापित हो गए।
- **नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध (ICCPR):** ICCPR के अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्तिको व्यक्तिगत रूप से या दूसरों के साथ मलिकर संपत्ति रखने का अधिकार है, और किसी को भी मनमाने ढंग से उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।
- **सामूहिक दंड:** सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि ध्वस्तीकरण अभियान न केवल अपराध के कथित अपराधियों को नशाना बनाता है, बल्कि उनके नविस स्थान को नष्ट करके उनके परिवारों पर एक प्रकार का "सामूहिक दंड" भी लगाता है।
- **तवरति न्याय:** अतिक्रमण या अनधिकृत नरिमाण के खिलाफ कार्रवाई के रूप में तोड़फोड़ को उचित ठहराया गया है। दंडात्मक हसि के ऐसे राज्य-स्वीकृत कृत्यों को "तवरति न्याय" के रूप में सराहा गया है।

संपत्ति वधिवंस से संबंधित अन्य न्यायिक घोषणाएँ

- **मेनका गांधी केस, 1978:** सर्वोच्च न्यायालय ने "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" के दायरे का वसितार करते हुए नरिणय दिया कि यह न्यायसंगत, निषिक्ष और उचित होनी चाहिये, जिससे "कानून की उचित प्रक्रिया" के सिद्धांत का प्रवर्तन हुआ।

- इसलिये संदेह या नरिधार आरोपों के आधार पर की गई तोड़फोड़ न्याय, नषिपक्षता और गैर-मनमानी के सदिधांतों के वपिरीत है।
- ओल्गा टेलसि केस, 1985: सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि जीवन के अधिकार की गारंटी देने वाले अनुच्छेद 21 में आजीविका और आश्रय का अधिकार भी शामिल है।
- इसका अर्थ है कि बिना उचित प्रक्रिया के घरों को ध्वस्त करना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।
- के.टी. प्लांटेशन (P) लिमिटेड केस, 2011: सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि अनुच्छेद 300-A के तहत संपत्ति से वंचित करने का प्रावधान करने वाला कानून न्यायसंगत, नषिपक्ष और उचित होना चाहिये।

सर्वोच्च न्यायालय दशिा-नरिदेशों के कार्यान्वयन में क्या चुनौतियाँ हैं?

- राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भरता: प्रतशिोध या नविरण के रूप में वधिर्वस का उपयोग करने का राजनीतिक दबाव, वशिष रूप से राजनीतिक रूप से आवेशित वातावरण में, बना रह सकता है।
- दंड से मुक्ति की संस्कृति: हालाँकि दशिा-नरिदेश अधिकारियों पर जवाबदेही थोपते हैं, लेकिन ऐतिहासिक उदाहरण, जैसे कि हेट स्पीच या मॉब लचिगि जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिये न्यायालय के पछिले प्रयास, यह सुझाव देते हैं कि इसी तरह के प्रयासों से हमेशा पर्याप्त परिणाम या जवाबदेही नहीं मिली है।
- नगिरानी का अभाव: यह जोखिम बना रहता है कि स्थानीय प्राधिकारी या अधिकारी इन नियमों को दरकिनार करने के तरीके ढूँढ लेंगे, वशिष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ न्यायिक नगिरानी कमज़ोर है।
- दीर्घकालिक सांस्कृतिक परिवर्तन: अकेले दशिा-नरिदेश व्यापक सांस्कृतिक और संस्थागत प्रथाओं को बदलने के लिये पर्याप्त नहीं हो सकते हैं जो इस तरह की कार्रवाइयों की अनुमति देते हैं।

आगे की राह

- कानून के शासन को कायम रखना: सभी राज्य कार्रवाई कानून के सख्त अनुपालन में होनी चाहिये। कानूनी प्रणाली को आपराधिक न्याय और सामूहिक दंड के बीच अंतर करना चाहिये, यह सुनिश्चित करते हुए कि निरिदोषता की धारणा कायम रहे।
- न्यायिक नगिरानी को बढ़ाना: संपत्तिके वधिर्वस से संबंधित विवादों से वशिष रूप से निपटने के लिये वशिष न्यायाधिकरणों की स्थापना की जानी चाहिये, जिनके पास सरकारी नरिण्यों की समीक्षा करने की शक्तियाँ हों।
- वैकल्पिक विवाद समाधान: संपत्ति अधिकारों और वधिर्वस से संबंधित विवादों को हल करने के प्रभावी तरीके के रूप में मध्यस्थता और पंचनरिणय जैसे तंत्रों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- पुनरवास योजनाएँ: वधिर्वस से प्रभावित व्यक्तियों के लिये वसित पुनरवास योजनाएँ बनाना महत्वपूर्ण है, जिसमें वैकल्पिक आवास, आजीविका सहायता और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच का प्रावधान हो।

प्रश्न: 'बुलडोजर न्याय' के संदर्भ में संपत्ति वधिर्वस पर सर्वोच्च न्यायालय के दशिा-नरिदेश कसि प्रकार उचित प्रक्रिया, पारदर्शिता और जवाबदेही के सदिधांतों को सुदृढ़ करते हैं?